प्रकरण संख्या :— 23 / 23
उनवान :— कन्हीराम वगै0 बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :—26.11.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 23 / 23

दायर दिनाँक :— 04.01.2023

निर्णय दिनाँकः— 26.11.2023

उनवान :— कन्हीराम वगै0

बनाम

सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार

2 श्री केसरी सिंह पुष्पद, अधिवक्ता प्रार्थीगण

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थीगण 1. कन्हीराम पिता मांगीलाल एवं 2. पांची बाई पत्नी मांगीलाल जाति भील निवासीयान दास्या कापुरा मजरा महाराजपुरा तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता दिनांक 04.01.2023 को उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम महाराज पुरा पटवार हल्का रवांस्या तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 28 (पुराना 25) की कुल किता 05 की 1.3921 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं मृतक भंवरी पत्नी मांगीलाल के खाते दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थना—पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी नं0 1 का नाम जमाबन्दी में कांसीराम पिता मांगीलाल दर्ज हो रहा है, जो गलत व त्रुटिवश दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी नं0 1 का सही एवं वास्तवितक नाम कन्हीराम पिता मांगीलाल है। इसी प्रकार प्रार्थी नं0 2 का नाम जमाबन्दी में पांची पुत्री मांगीलाल दर्ज हो रहा है, जो गलत एवं त्रुटिवश दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी नं0 2 का सही एवं वास्तविक नाम पांची पत्नी मांगीलाल है। जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जॉब कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे प्रार्थना—पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त वर्णित आराजी की जमाबंदी में सहखातेदार भंवरी पत्नी मांगीलाल दर्ज हो रहा है, जिसका देहान्त

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :— 23/23
उनवान :— कन्हीराम वगै0 बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :—26.11.2025

40 साल पहले हो चुका है। मृतक भंवरी पत्नी मांगीलाल का जायज वारिस प्रार्थी नं0 1 है तथा इसके अलावा ओर अन्य कोई वारिस नही है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थीगण ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम महाराज पुरा पटवार हल्का रवांस्या तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 28 (पुराना 25) की कुल किता 05 की 1.3921 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी नं0 1 का नाम कांसीराम पिता मांगीलाल के स्थान पर कन्हीराम पिता मांगीलाल एवं प्रार्थी नं0 2 का नाम पांची बाई पुत्री मांगीलाल के स्थान पर पांची बाई पत्नी मांगीलाल संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थीगण को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस प्रार्थना–पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण द्वारा "मृतक भंवरी पत्नी मांगीलाल का जायज वारिस प्रार्थी नं0 1 है तथा इसके अलावा अन्य कोई और वारिस नही है।" का कथन किया जो इस धारा में पोषणीय नही है। यह तथ्य एवं का साक्ष्य का विषय है , जिसे घोषणात्मक वाद के जरिय ही न्यायालय में लाया जा सकता है। अतः मृतक भवरी पत्नी मांगीलाल के संशोधन तक खारिज किया जाता है तथा प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम महाराज पुरा पटवार हल्का रवांस्या तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 28 (पुराना 25) की कुल किता 05 की 1.3921 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी 1. का नाम " कांसीराम पिता मांगीलाल " के स्थान पर " कन्हीराम पिता मांगीलाल " एवं प्रार्थी नं0 2 का नाम " पांची बाई पुत्री मांगीलाल " के स्थान पर " पांची बाई पत्नी मांगीलाल" दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथाना